# न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

अदालत :– अशोक कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 54/2017

कृष्णकुमार पुत्र रूकमा पत्नी आसाराम जाति ब्राह्मण निवासी फूलेजी तहसील लूनकरनसर

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूनकरनसर

अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीएक्ट 136 एलआरएक्ट

दावा बाबत घोषणा चिरस्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकार्ड दुरूस्ती बाबत रोही मौजा फूलेजी खेत खसरा नम्बर पुराना 71 मिन नया 54 मिन तादादी 54 बीघा हाल 10 पीएचएम के मु.नं. 42/8 के किला नम्बर 10, 13ता19, 21ता25, मु.नं. 43/1 किला नम्बर 3ता8, 13ता18, 23ता25 मु.नं. 43/2 के किला नम्बर 1ता25, मु.नं. 43/10 के किला नम्बर 1,10,11,20 तादादी 53 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि वादी की विधिवत आवंटित एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी की है तथा राजस्व/ रिकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने एवं प्रतिवादी के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कराने का हकदार वादी हैं। वर विनाय शहादत हर राजस्व रिकार्ड ।

उपस्थित 1. श्री लालचन्द जाट वादी की ओर से
2. पैरोकार राज स्टेट की ओर से

## निर्णय

पत्रावली हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई। वादी ने यह अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत कर घोषणा बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती बाबत रोही मौजा फूलेजी के तहसील लूनकरनसर के पुराना खसरा नम्बर 21/9 की तादादी 20 बीघा, सम्वत 2018, पुराना खसरा नम्बर 116/21 मिन 20 बीघा सम्वत 2022, पुराना खसरा नम्बर 166/21 मीन में 25 बीघा सम्वत 2024 जो तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा वादी की माता रूकमा बेवा आसाराम को आवंटन कर कब्जा एवं दखल दिया था जिस पर आवंटन के दिन से वादी की दत्तक माता मु. रूकमा पत्नी आसाराम के कब्जा काश्त में भी रही तथा उक्त भूमि वादी की दत्तक माता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर लगान कायम कर बहाल किया गया है इसलिए वादी उक्त 55 बीघा भूमि का राज्य सरकार का स्वीकृत काश्तकार है एवं बन्दोबस्ती खातेदार गैर खातेदार काबिज काश्तकार है।

रोही मौजा फूलेजी में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्वत 2017 से 2[illegible] के मध्य बन्दोबस्त की कार्यवाही करके पुराना खसरा नम्बर 21/9, 116/21, 166/21 मिन के नये खसरा नम्बर 54 बनाकर मिसल बन्दोबस्त तैयार की थी जिसमें विवादित भूमि को वादी की दत्तक माता के मु. रूकमा के नाम दर्ज नहीं करके रकबा आराजीराज दर्ज कर दिया जिसका कतई अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को नहीं था। सम्वत 2025 तक वादगत भूमि वादी की दत्तक माता मु. रूकमा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होती रही लेकिन बाद में भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश वादगत भूमि में आराजीराज कर दी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी की दत्तक माता को किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना बालाबाला वादी की पीठ पीछे वादी को विधिवत आवंटित भूमि को आराजी राज दर्ज कर दिया जिसका कतई अधिकार भू प्रबन्ध विभाग को नहीं था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok K
Date: 2022.06.20 18:19:13
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी
लूनकरनसर

भू प्रबन्ध विभाग को मात्र पूर्ववर्ती इन्द्राजों को रिपीट करने का अधिकार होता हैं। भू–प्रबन्ध विभाग ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त कृत्य किया है जो वादी के अधिकारों के समक्ष प्रभावहीन एवं शुन्य है जिसे वादी के राईट टाईटल एण्ड इन्टेन्सनल या कम नहीं है ना ही उक्त कृत्य से प्रतिवादी को कोई अधिकार प्राप्त हुए इस लिए उक्त कृत्य शुन्य है जिसे निष्प्रभावी घोषित कराने का हकदार वादी है।

वादगत भूमि सम्वत 2039 तक खसरा गिरदावरी में वादी की दत्तक माता मु. रूकमा पत्नी आसाराम के नाम चलती रही वाद में उक्त रकबा उपनिवेशन क्षेत्र में आने से चक 10 पीएचएम के विभिन्न मुरबा व किला नम्बर में परिवर्तित होकर सूची नं. 4 तैयार हुई उक्त सूची नं. 4 में वादी के कब्जे अनुसार वादगत भूमि मौजा रोही फूलेजी खेत खसरा नम्बर पुराना 21 किमन नया 54 मिन तादादी 55 बीघा हाल चक 10 पीएचएम के मु.नं. 42/8 किला नम्बर 14, 17ता19, 21ता25, मु.नं. 43/1 किला नं. 3ता8, 13ता18, 23ता25 मु.नं. 43/2 में किला नं. 1ता25 मु.नं. 43/10 किला नं. 1,10,11,12तादादी 53 बीघा कमांड/अनकमांड में फिटिंग हुई जिस पर वादी आवंटन के दिन से कब्जा एवं दखल चला आ रहा हैं।

वादगत भूमि पर सम्वत 2018 से आज तक निरन्तर काबिज एवं कब्जाकाश्त चला आ रहा है वर्तमान में फसल काश्त की हुई है। दिनांक 30.03.2017 को वादगत भूमि की जमाबन्दी की नकल लेने हेतु पटवारी के पास गया तो पटवारी हल्का ने कहा कि आपके नाम की कोई भूमि नहीं है तब वादी पुराने कागज व रसीद लेकर वापिस पटवारी हल्का के पास दिनांक 10.04.2017 को गया तो पटवारी ने पुराने कागज व रसीद देखकर बताया कि उक्त भूमि जमाबन्दी में आराजीराज दर्ज है तब पटवारी हल्का ने कहा कि उक्त भूमि पर खडी फसल की कटाई मत करना फसल कुर्क कर निलाम करेंगे तथा आपको भूमि से बेदखल करेंगे। तब वादी ने हल्का पटवारी को बताया कि उक्त भूमि सम्वत 2018 से पूर्व से कब्जाकाश्त में चली आ रही है तथा वादी सरकारी आबियाना बराबर जमा कराता आ रहा है तब पटवारी हल्का ने वादी को खातेदार गैर खातेदार काबिज काश्तकार मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया वादी को वादगत भूमि से जबरन बेदखल करने, फसल नष्ट करने की स्पष्ट धमकी देने से वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हक पैदा हुआ कि प्रतिवादी वादगत भूमि वाके चक 10 पीएचएम के मु.नं. 42/8 किला नम्बर 14, 17ता19, 21ता25, मु.नं. 43/1 किला नं. 3ता8, 13ता18, 23ता25 मु.नं. 43/2 में किला नं. 1ता25 मु.नं. 43/10 किला नं. 1,10,11,12तादादी 53 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि से बेदखल नहीं करे ना ही वादी के कब्जेकाष्त में दखलन्दाजी करे ना ही वादी की खडी फसल को नष्ट ,कुर्क,निलाम करे। ना ही भूमि को अन्य को आवंटन करे ना ही ऐसा कोई फैल या तर्क फैल करे जिससे वादी के कब्जेकाश्त एवं अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडे। वादी ने मुख्य अनुतोष स्टेट आफ राजस्थान से चाहा है जिन्हें धारा 80 सीपीसी के [illegible] माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर [illegible] होने [illegible] 80 सीपीसी के अभाव में दावा पेश कर धारा 80(2)सीपीसी के तहत प्रार्थना [illegible] प्रस्तुत 80 सीपीसी के नोटिस के अभिाव में दावा प्रस्तुत करने की अनुमति [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरनसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 18:19:13 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी के खिलाफ अनुतोष चाहे गये – यह घोषित किया जावे कि वादगत भूमि मौजा रोही फूलेजी खेत खसरा पुराना 21 मिन नया खसरा नम्बर 54 मिन तादादी 55 बीघा हाल चक 10 पीएचएम के मु.नं. 42/8 किला नम्बर 14, 17ता19, 21ता25, मु.नं. 43/1 किला नं. 3ता8, 13ता18, 23ता25 मु.नं. 43/2 में किला नं. 1ता25 मु.नं. 43/10 किला नं. 1,10,11,12तादादी 53 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि का वादी खातेदार गैर खातेदार काबिजकाश्तकार है यह घोषित किया जावे कि भू–प्रबन्ध विभाग ने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर वादी को विधिवत आवंटित एवं कब्जेकाश्त की भूमि को अराजीराज दर्ज किया है जो अवैध एवं शुन्य एवं वादी के अधिकारों को समक्ष प्रभावहीन एवं निष्प्रभावी है यही भी घोषित किया जावे कि इन्तकाल नम्बर 26,79,206 की अनुपालना में राजस्व रिकार्ड में जहां जहां वादगत भूमि आराजीराज दर्ज है वहां वहां वादी वादगत भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने अपने नाम खातेदारी गैर खातेदारी दर्ज कराने का हकदार हैं। वादगत भूमि को आवंटन नियमों के तहत पुख्ता आवंटन करवाने आवंटन हेतु सक्षम घोषित करवाने एवं निःशुल्क हको की घोषणा कराने का वादी हकदार है तथा प्रतिवादी के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा का हकदार है । उक्त के अलावा अन्य अनुतोष जो न्याय हित में उचित हो दिलाये जाने का निवेदन किया।

वाद को दर्ज रजिस्टर करने के पश्चात प्रतिवादी को समन जारी किये गये। प्रतिवादी ने वादपत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 1ता3, 5 को स्वीकार किया बिन्दू संख्या 4 व 6,8 को अस्वीकार तथा शेष बिन्दू कानूनी होने के साथ वादी द्वारा प्रस्तुत दावा गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र व जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया कि वादी वादगत भूमि मौजा रोही फूलेजी के पुराना खसरा नम्बर 21 मिन नया खसरा नम्बर 54 मिन तादादी 55 बीघा हाल चक 10 पीएचएम के मु.नं. 42/8 किला नम्बर 14, 17ता19, 21ता25, मु.नं. 43/1 किला नं. 3ता8, 13ता18, 23ता25 मु.नं. 43/2 में किला नं. 1ता25 मु.नं. 43/10 किला नं. 1,10,11,12तादादी 53 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि का खातेदार गैर खातेदार काबिज काश्तकार है जिसकी घोषणा का अधिकारी हैं।

–जिम्मे वादी

2. आया कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादी की विधिवत आवंटित एवं कब्जेकाश्त की भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश अवैध एवं प्रभाव शुन्य घोषित करने का अधिकारी है।

– जिम्मे वादी

3. आया की वादी ई.नं. 26,29,206 की पालना से वादगत भूमि को आराजीराज के स्थान पर वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाकर अपने नाम खातेदार/गैर खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी हैं।

–जिम्मे वादी

4. आया कि वादगत भूमि को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कब्जा काश्त नहीं होने के कारण आराजीराज दर्ज किया गया है वादी को भू–प्रबन्ध विभाग के आदेशर के विरूद्ध चाराजोही करनी चाहिए थी वादी द्वारा प्रस्तुत मियाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

–जिम्मे वादी

5. आयाकि रकबा उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हो जाने के कारण राजस्व क्षेत्र से बाहर हो जाता है वादी द्वारा उपनिवेशन विभाग में आवंटन नहीं करवाने के कारण स्वतः हक परित्याग कर दिया हैं।

–जिम्मे प्रतिवादी

6. आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

–जिम्मे प्रतिवादी

7. अनुतोष।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 18:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर

उपरोक्त में वर्णितानुसार कुल 7 वाद बिन्दु तय कर उभय पक्ष को व्याख्या की गई तथा वाद संख्या 1ता3 को साबित करने का भार वादी व 4ता6 प्रतिवादी को साबित करने का भार सौंपा गया।

सर्वप्रथम वादी द्वारा तनकीयात संख्या 1 के समर्थन में खसरा गिरदावरी 2016 से 2019 की प्रमाणित रोही मौजा फूलेजी के खसरा नम्बर 21/3 तादादी 20 बीघा की प्रस्तुत की जिसमें सम्वत 2018 में वादी की माता रूकमा के नाम चारसाला आवंटन का अंकन है जो Ex –1 है, खसरा गिरदावरी सम्वत 2020 से 2023 ग्राम फूलेजी की खसरा नम्बर 116/21 मिन तादादी 20 बीघा जो Ex –2 है जिसमें वादी की दत्तक माता रूकमा को मंजूरी 3 साला का अंकन है खसरा गिरदावरी सम्वत 2025 ग्राम फूलेजी खसरा नम्बर 166/21 तादादी 20 बीघा मंजूरी दिनांक 19.5.67 का अंकन है जो Ex –3, खसरा गिरदावरी सम्वत 2026 से 2029 मौजा रोही फूलेजी नया खसरा नम्बर 439/54, तादादी 35.11 बीघा खसरा नम्बर 454/50 तादादी 20 बीघा प्रस्तुत की जिसमें आवंटन सम्वत 2018,2024,2023 वादी की दत्तक माता रूकमा बेवाह आसाराम के नाम का अंकन है जो Ex –4 है। खसरा गिरदावरी रोही मौजा फूलेजी सम्वत् 2029 से 2032 में वादी की दत्तक माता के नाम आवंटन का अंकन है जो Ex –5 है खसरा गिरदावरी सम्वत 2033 से 2036 में इन्ही खसरा नम्बर में वादी की माता के नाम आवंटन का नोट अंकित है जो Ex –6 है इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत 2037 से 2039 में आंवटन का अंकन है जो Ex 7 हैं। इसी प्रकार Ex 8 में भी यही इन्द्राज अंकित हैं। चक 10 पीएचएम की खसरा गिरदावरी सम्वत 2041 से 2044 मु.नं. 42/8 के रकबा में राजस्व अलोटी का अंकन है जो Ex –9 है मु.नं. 43/1 खसरा गिरदावरी Ex –10., मु.नं. 43/2 खसरा गिरदावरी सम्वत 2041 से 2044 Ex 11 , व खसरा गिरदावरी 2041 से 2044 में भी वादी की माता का नाम अंकन हैं। जो Ex –12 है, मु.नं. 42/10 में खसरा गिरदावरी 2041 से 2044 चक 10 पीएचएम में भी अंकन की पेश की जो Ex 13 हैं। इसी प्रकार उक्त दावा नम्बर वादी खसरा गिरदावरिया सम्वत 2045–2049 प्रस्तुत किये गये कमश : **Ex14, Ex15, Ex16, Ex17** व **Ex18** पेश की जिसमें उक्त मुरबा नम्बरान का रकबा आराजीराज दर्ज है जिसमें 2048 जिसमें मु.नं. 43/1 में काश्त दर्ज है इन्तकाल संख्या 206 की प्रमाणित प्रति जो Ex19 में खसरा नम्बर 439/54 की 20 बीघा खातेदारी स्वीकृत की गई है जो इन्तकाल नम्बर 79 की प्रमाणित प्रति जो Ex20 है । इन्तकाल नम्बर 26 की प्रमाणित प्रति जिसमें फूलेजी के खसरा नम्बर 429/52 की 20 बीघा का वादी की माता को गैर खातेदार का स्वीकृत किया गया है। इन्तकाल संख्या 79 ग्राम फूलेजी के खसरा नम्बर 445/59 तादादी 20 बीघा जो वादी की माता रूकमा के नाम स्वीकृतशुदा है इन्तकाल नम्बर 26 जो Ex21 है खसरा नम्बर 439/54 की 20 बीघा अराजीराज में वादीह की माता रूकमा के नाम गैर खातेदारी [illegible] हैं पेश की। प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी सम्वत 2070–73 आराजीराज [illegible] 42/8**Ex27,** मु.नं. 43/10, 45/1, 42/2, व 43/10 [illegible] की हैं [illegible] 4 Ex28A गोदनामा प्रमाणित की छायाप्रति Ex29A, [illegible] में सिंयायी कर जमा की रसीद की छाया प्रति जो Ex30A से Ex 32 [illegible] तक तादादी 13 रसीद हैं। आवंटन आदेश एसडीओ नॉर्थ बीकानेर की छायाप्रति **Ex32A** , रसीद लगान राजस्व **Ex32A/11** प्रदर्श करवाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 18:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

मौखिक साक्ष्य में वादी स्वयं का शपथपत्र जो PW-1गवाह भादरराम पुत्र न्योलाराम PW-2 खेमाराम पुत्र भादरराम PW 3 पेश किये जिन पर जिरह प्रतिवादी स्टेट की।

इसके विपरीत तनकी संख्या 4ता6 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी की ओर से उक्त तनकीयात के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रदर्श नहीं करवाया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वादपत्र में वर्जित कथनों के अतिरिक्त कथन किया की मृतक माता रूकमा बेवाह आसाराम को विधिवत राजस्व विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 21/9 में 20 बीघा 116/2 मे 20 बीघा व 166/21 में 25 बीघा का दस साला आवंटन हुआ था जिस पर माता जी के जीवन काल में उनका तथा उनकी मृत्यु उपरान्त वादी का आवंटन की दिनांक से निरन्तर कब्जाकाश्त चला आ रहा हैं। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आवंटित भूमि को आराजी घोषित कर दिया जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरिया सम्वत 2026 से 2049 तक में वादी की दत्तक माता का नाम दर्ज चला आ रहा है काश्त भी दर्ज होती रही हैं। समयपर लगान दिया गया है आबियाना जमा करवाया है जिसकी रसीदे पेश की हैं। वादगत भूमि में से खसरा नम्बर ई.नं. 27/79 से गैर खातेदारी दर्ज हुई तथा खसरा नम्बर 439/54 की 20 बीघा खातेदारी स्वीकृत हुई जिसमें रकबा चकों में गया का नोट अंकित किया हुआ है उक्त ईन्तकाल में कालम संख्या 14 में एसडीओ नॉर्थ बीकानेर के आदेश दिनांक 06.10.75 का हवाला दिया गया। इस प्रकार वादगत भूमि वादी की विधिवत सक्षम अधिकारी के आदेश में आवंटन शुदा तथा निरन्तर कब्जेकाश्त के अभाव में अराजीराज दर्ज करने के आरदेश भू–प्रबन्ध विभाग प्रभाव शुन्य व अवैध होने से निरस्त योग्य हैं। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि रकबा उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने के पश्चात भूमि की खातेदार/गैर खातेदारी नहीं कर आराजीराज घोषित कर दिया गया इसकी जानकारी होते ही यह वाद प्रस्तुत कर पुनः आवंटन के अंकन की घोषणा का वाद पेश किया। वादगत भूमि का वादी राज्य सरकार स्वीकृत काश्तकार है समय–समय पर लगान अदा किया है वादी निरन्तर कब्जाकाश्त व आवंटन के आधार पर आराजीराज के स्थान पर गैर खातेदार/खातेदार दर्ज करवाने का हकदार है । उपनिवेशन नियमों के तहत आवंटन का पात्र हैं। अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जावे। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना सूचना सुनवाई का अवसर प्रदान किये आवंटित/खातेदारी भूमि के आदेष का प्रभाव शुन्य घोषित फरमाया जावे तथा चिरस्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादी को वादगत भूमि वाके चक 10 पीएचएम के मु.नं. 42/8, 43/1, 43/2, 43/10 की तादादी 53 बीघा भूमि से बेदखल नहीं करे। ना कोई ऐसा तर्क या फैल तर्क करे जिससे वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। वकील वादी ने अपनी बहस समाप्त करते हुए पटवारी हल्का चक जोड की रिपोर्ट के हवाले से कथन किया कि रिपोर्ट पटवारी स्पष्ट है जिसका अवलोकन फरमावे जिसमें वर्षवार किये गये आवंटन का अंकन इ.न. 26 के द्वारा खसरा नम्बर 439/54 की 20 बीघा दिनांक 18.10.72 को इ.नं. 79 के द्वारा 445/54 में 20 बीघा दिनांक 19.4.74 को आवंटन स्वीकृत हुए है तथा इ.न. 206 दिनांक 9.4.1977को खसरा नम्बर 439/57 की 20 बीघा की खातेदारी का नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है खातेदारी भूमि को खारिज कर रकबा राज दर्ज करने के अधिकार भू प्रबन्ध विभाग को कतई प्राप्त नहीं है तथा उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने पर उपनिवेशन विभाग के अमला को उपनिवेशन नियमों के तहत टीनेंसी एक्ट के स्थान पर उपनिवेषन नियमों के तहत खातेदारी अधिकार तो समाप्त किये जा सकते है परन्तु आराजीराज दर्ज करने के अधिकार हासिल नहीं थे।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not V
Digitally signed by A
Date: 2022.06.20 18
Reason: SelfAttest

अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जावे। वादगत भूमि पुराने खसरा नम्बर 21/9 की 20 बीघा 116/21 की 20 बीघा व 161/2 की 25 बीघा खसरा नम्बर 54 मिन की उपनिवेशन के चक 10 पीएचएम के मु.नं. 42/8 किला नम्बर 14, 17ता19, 21ता25, मु.नं. 43/1 किला नं. 3ता8, 13ता18, 23ता25 मु. नं. 43/2 में किला नं. 1ता25 मु.नं. 43/10 किला नं. 1,10,11,12तादादी 53 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि वादी को खातेदार /गैर खातेदार दर्ज की घोषणा फरमाई जावे।

वकील वादी की बहस के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकारराज की बहस है कि वादी को आवंटित भूमि पर भू–प्रबन्ध विभाग की सर्वे के दौरान कब्जाकाश्त नहीं होने से आराजीराज दर्ज की गई हैं। वादी का मौका पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं। वर्तमान में भूमि चकों में आ गई है वापदी ने भूमि चकों में आ जाने पर नियमानुसार आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया तथा स्वयं भूमि का परित्याग कर दिया है अतः वादी किसी प्रकार से अनुतोष का हकदार नहीं हैं। वादी द्वारा गलत तथ्य पेश कर दावा पेश किया है जो खारिज योग्य हैं जो खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी ने प्रस्तुत खसरा गिरदावरिया सम्वत 2026 से 2049 तक की रोशनी में कथन किया कि उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने के बावजूद वादी की माता रूकमा के नाम से इन्द्राज किया है जिस में निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं। खसरा गिरदावरी सम्वत 2049 में बिना कोई नोटिस सूचित किये नाम हटा दिया गया है जो विधि विरूद्ध होने से स्वीकार योग्य हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जावे तथा वादी के नाम पुनः इन्द्राज के आदेश फरमावे।

हमने बहस का मनन किया । वादी पर तनकी संख्या 1ता 3 को साबित करने का भार था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी का रोही मौजा फूलेजी के खसरा नम्बर 21/9, 439/54, 445/54 की तादादी 55 बीघा जो भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा नम्बर 54 की 55 बीघा व वर्तमान में चक10 पीएचएम के मु.नं. 42/8 किला नम्बर 14, 17ता19, 21ता25, मु.नं. 43/1 किला नं. 3ता8, 13ता18, 23ता25 मु.नं. 43/2 में किला नं. 1ता25 मु.नं. 43/10 किला नं. 1,10,11,12तादादी 53 बीघा कमांड/अनकमांड पैमुद हुई हैं। जिस पर वादी का निरन्तर कब्जाकाश्त प्रमाणित होता हैं।

अतः तनकी संख्या 1ता3 पूर्णतया साबित होने से बहक वादी तय की जाती हैं। तनकी संख्या 4ता6 को साबित करने का भार प्रतिवादी का था जिसकों प्रतिवादी साबित नहीं कर सके। लिहाजा तनकी संख्या 4ता6 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती हैं। भू–प्रबन्ध विभाग व उसके पश्चात उपनिवेशन विभाग द्वारा वादगत भूमि को आराजीराज घोषित करने के आदेश को अवैध व प्रभाव शुन्य घोषित किया जाता है जहां तक स्वीकृत शुदा ई.नं. 26,79,206 को कायम रखे जाने का प्रश्न है उसको बहाल किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है क्योंकि भूमि उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हो चुकी है राजस्व वि[illegible] राजस्थान काश्तकारी कानून प्रभावित होते है उपनिवेशन क्षेत्र घोषित [illegible] पर उपनिवेशन अधिनियम लागू हो जाने से काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होकर उपनिवेशन नियम प्रभावी होते हैं। इस प्रकार से वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र हैं। उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने पर खातेदारी अधिकारी का अवसान हो जाता हैं।

वादी को चक10 पीएचएम के मु.नं. 42/8 किला नम्बर 14, 17ता19, 21ता25, मु.नं. 43/1 किला नं. 3ता8, 13ता18, 23ता25 मु.नं. 43/2 में किला नं. 1ता25 मु.नं. 43/10 किला नं. 1,10,11,12तादादी 53 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि का गैर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok K
Date: 2022.06.20 18:19:13
Reason: SelfAttested

वादी उपनिवेशन नियमों के तहत भूमि का पात्रता के हिसाब से पुख्ता आवंटन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। चिरस्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं की प्रतिवादी वादी को वादगत भूमि वाके चक 10 पीएचएम के मु.नं. 42/8 किला नम्बर 14, 17ता19, 21ता25, मु.नं. 43/1 किला नं. 3ता8, 13ता18, 23ता25 मु.नं. 43/2 में किला नं. 1ता25 मु.नं. 43/10 किला नं. 1,10,11,12तादादी 53 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि से बेदखल नहीं करे ना ही ऐसा कोई या तर्क फैल करे जिससे वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

यह आज दिनांक 09/05/22को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok K
Date: 2022.06.20 18:19:13
Reason: SelfAttested

# डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर**

**ब इजलास : अशोक कुमार, आरएएस**

कृष्णकुमार **बनाम सरकार**

**दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीएक्ट 136 एलआरएक्ट**

**मुकदमा नम्बर :– 54/2017**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री लालचन्द जाट अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई पैरोकारराज राज्य की ओर से मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक10 पीएचएम के मु.नं. 42/8 किला नम्बर 14, 17ता19, 21ता25, मु.नं. 43/1 किला नं. 3ता8, 13ता18, 23ता25 मु.नं. 43/2 में किला नं. 1ता25 मु.नं. 43/10 किला नं. 1,10,11,12तादादी 53 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि का वादी को गैर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी उपनिवेशन नियमों के तहत भूमि का पात्रता के हिसाब से पुख्ता आवंटन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। चिरस्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं की प्रतिवादी वादी को वादगत भूमि वाके चक 10 पीएचएम के मु.नं. 42/8 किला नम्बर 14, 17ता19, 21ता25, मु.नं. 43/1 किला नं. 3ता8, 13ता18, 23ता25 मु.नं. 43/2 में किला नं. 1ता25 मु.नं. 43/10 किला नं. 1,10,11,12तादादी 53 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि से बेदखल नहीं करे ना ही ऐसा कोई या तर्क फैल करे जिससे वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। तद्नुसार तहसीलदार लूनकरनसर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करे।

नीज .....- .....मुबलिक .....- .....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..... -..... फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक .....-..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 09/05/2022 को डिक्री जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 18:19:13 IST
Reason: SelfAttested

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर